कार्यालय जिला पंचायत, बालोद (छ.ग.)

आदेश

क्रमांक / 1165 / जि.पं. / MGNREGA / स्था. / 2017–18 बालोद, दिनांक [illegible] मार्च 2018

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर का पत्र क्रमांक / 695 / पंग्राविवि / 22 / 2018 रायपुर दिनांक 27.02.2018, 3970 दिनांक 05.10.2017, 4063 दिनांक 11.10.2017 एवं 4480 दिनांक 17.11.2017 के निर्देशानुसार महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत **"सूक्ष्म चयन समिति"** के अनुशंसा अनुसार मेरिट आधार पर चयनित आवेदक की **नियुक्ति संविदा आधार** पर **तकनीकी सहायक** के पद पर जिला पंचायत, बालोद में निश्चित मानदेय **रू. 23010.00 (अक्षरी तेईस हजार दस रूपये मात्र)** प्रतिमाह के मान से निम्नानुसार शर्तों के अधीन किया जाता है। इनके पारिश्रमिक पर होने वाला व्यय महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की प्रशासनिक व्यय की राशि से किया जावेगा।

क्रं	नाम / (पिता / पति का नाम)	चयनित प्रवर्ग	पता	पदस्थापना
1	2	3	4	5
1	संजीव कुमार / श्री चुन्नी लाल	अना. (भू.पू.सै.)	ग्राम बोहारा पोस्ट पलारी तहसील गुरूर जिला बालोद छ.ग. पिन–491222	जनपद पंचायत डौण्डीलोहारा
2	रोशनी / श्री धनसिंह	अजजा (महिला)	ग्राम बोड़की पोस्ट बेलमाण्ड तहसील बालोद जिला बालोद छ.ग. पिन–491226	जनपद पंचायत गुण्डरदेही
3	नवीन ठाकुर / श्री नरेश ठाकुर	अजजा (मुक्त)	न्यू आदर्श नगर अटल चौंक वार्ड नं. 53 सडक नं. 08 मकान नं. F33 पोटियाकला दुर्ग 491001	जनपद पंचायत डौण्डीलोहारा
4	सतीश कुमार / श्री सीलू राम	अजजा (भू.पू.सै.)	ग्राम मरकामटोला पोस्ट चिपरा तहसील व थाना डौण्डीलोहारा जिला बालोद	जनपद पंचायत डौण्डीलोहारा

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

नियम एवं शर्ते :–

1. संविदा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिए होगी। तदपश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिए निरंतर रखे जाने पर विचारणीय होगा।
2. नियुक्ति की अवधि– संविदा नियुक्ति सामान्य एक वर्ष **(दिनांक 28.02.2019)** के लिए होगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकेगा। संविदा अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थाई है।
4. वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
6. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
7. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
8. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके।
9. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैणक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्र यदि असत्य पाये जाते है तो संबंधित को तत्काल पद से पृथक कर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा।
10. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत समय–समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृति समस्त कार्यो का निरीक्षण एवं निष्पादन का संपूर्ण जिम्मेदारी से निर्वहन किया जावेगा।
11. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. / एफ–9–1 / 2012 / 1–3, दिनांक 17.01.2013 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन नियमों के तहत एवं बंधनकारी होगी।

12. MGNREGA के तहत कार्य कर रहे/कार्य कर चुके आवेदक, अंतिम नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगें, इसके अभाव में नियुक्ति नहीं दी जावेगी।
13. पदस्थापना मुख्यालय में निवास करना होगा, तद्संबंधी सहमति पत्र (अंडरटेकिंग) उपस्थिति के समय देना होगा, पालन नहीं करने की स्थिति में संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, बालोद

पृ.क्र./11652/जि.पं./MGNREGA/स्था./2017–18 बालोद, दिनांक ...7... मार्च 2018

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय छ.ग. शासन, रायपुर।
2. आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा, विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, ब्लॉक–II, द्वितीय तल, नया रायपुर।
3. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गाँधी नरेगा, जिला बालोद।
4. जिला रोजगार अधिकारी बालोद को सूचनार्थ।
5. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व).....................................(सर्व) जिला बालोद को सूचनार्थ।
6. सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय, बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बालोद की ओर प्रकाशनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत......................................(सर्व) जिला बालोद को सूचनार्थ।
9. लेखा/स्थापना शाखा (MGNREGA), जिला पंचायत, बालोद।
10. संबंधित... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। दि 19/03/2018 तक अपनी उपस्थिति रिपोर्ट मय समस्त मूल प्रमाण पत्रों तथा जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र व अंडरटेकिंग के साथ **जिला पंचायत (MGNREGA प्रकोष्ठ) बालोद** में देवे। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने की दशा में नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, बालोद